

कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन "सी" ब्लॉक तृतीय तल, नया रायपुर

कमोंक 7437 / तक-पंजी / टीसी / 2016
प्रति.

रायपुर, दिनांक 16/03/2016

1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
रायपुर / जगदलपुर /
बिलासपुर / अम्बिकापुर
2. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
दुर्ग / राजनांदगाँव
3. जिला परिवहन अधिकारी,
कबीरधाम / कांकेर / महासमुंद / धमतरी / कोरबा / दंतेवाड़ा
जांजगीर-चांपा / रायगढ़ / कोरिया / जशपुर / गरियाबंद /
बलौदाबाजार / मुर्गेली / बालोद / बेमेतरा / कोण्डामांव, सूरजपुर, छोगो।

विषय:- M/s Kirti Solar Ltd. द्वारा निर्मित Electeca PRIME (E-rickshaw) वाहन को
छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन की अनुमति।

संदर्भ:- M/s Kirti Solar Ltd. का आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2016.

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के तहत M/s Kirti Solar Ltd.
द्वारा नवनिर्मित Electeca PRIME (E-rickshaw) वाहन को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन की
अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन किया गया है। विहित आवेदन शुल्क रुपये 1500/-
ऑनलाईन बैंक ट्रांजेक्शन आईडी ICG2602161271937 दिनांक 26.02.2016 द्वारा जमा किया
गया है। वाहन का विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र.	निर्माता का नाम	वाहन का मॉडल	वाहन का प्रकार
01	Ms/ Kirti Solar Ltd.	CAKB-0157 Dated:- 27-10-2015. <u>Base Model:-</u> Electeca PRIME. <u>Seating Capacity(Incl. driver):-</u> 5 Person. <u>GVW:-</u> 713 Kg.	Special Purpose Battery Operated Three Wheeler (E-rickshaw)

उपरोक्त वाहन मॉडल के संबंध में प्रोटोटाइप जिस प्रकार से प्रमाणित है। मोटरयान
अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 एवं छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994
में विहित प्रावधानों के अनुसार पंजीयन करना सुनिश्चित करें।

(परिवहन आयुक्त द्वारा आदेशित)

15/3/2016
सहायक परिवहन आयुक्त
रायपुर

